

समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
पत्रांक...../गो०

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक, पालेश्वर झा उ०वि०, गोठ बरदाहा
प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित माध्यमिक वि०, भर्ही बाजार
प्रधानाध्यापक, प्राणवती अनिरुद्ध उ०वि०, गमैल
प्रधानाध्यापक, महंत हरिहर उ०वि०, रानी पोखर
प्रधानाध्यापक, मधुराम उ०मा०वि०, ग्वालपाड़ा
प्रधानाध्यापक, जनता उ०वि०, चौसा।

मधेपुरा, दिनांक.....2013

विषय : दिनांक 20-12-2013 को राशि वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण में उदासीनता बरतने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 20-12-2013 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर उच्च विद्यालयों में पोशाक, साईकिल एवं प्रोत्साहन राशि के वितरण की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	विद्यालय का नाम	साईकिल योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि का लक्ष्य	साईकिल योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि	पोशाक योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि का लक्ष्य	पोशाक योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि	प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि का लक्ष्य	प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशि
1	धैलाढ़	गोठ बरदाहा	पालेश्वर झा उ०वि०, गोठ बरदाहा	0	0	0	0	180000	0
2	मधेपुरा	मदनपुर	उत्क्रमित माध्यमिक वि०, भर्ही बाजार	0	0	0	0	90000	0
3	बिहारीगंज	गमैल	प्राणवती अनिरुद्ध उ०वि०, गमैल	187500	65000	143000	38000	160000	0
4	गम्हरिया	चिकनी	महंत हरिहर उ०वि०, रानी पोखर	857500	0	293000	0	410000	0
5	ग्वालपाड़ा	ग्वालपाड़ा	मधुराम उ०मा०वि०, ग्वालपाड़ा	2040000	0	760000	0	250000	0
6	चौसा	चौसा पश्चिम	जनता उ०वि०, चौसा	1500000	37500	610000	266000	330000	60000

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वितरण कार्यक्रम के तिथि की पूर्व सूचना देने के बावजूद भी आप लोगों के द्वारा राशि वितरण में उदासीनता बरती गयी है। प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 10,000/- की राशि चेक के माध्यम से देने का प्रावधान है। छात्रों के नाम की सूची के साथ-साथ चेक की राशि पूर्व में ही आप सभी को उपलब्ध करा दी गयी है, फिर भी वितरण नहीं करने का क्या औचित्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि वितरण तिथि के बाद अवैध रूप से छात्रों या उनके अभिभावकों से नजायज राशि लेकर चेक वितरण करने की आपकी मंशा है।

निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर अपना-अपना स्पष्टीकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक...3024.../गो0, मधेपुरा, दिनांक...20/12/13

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त प्राधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सभी संबंधितों को उक्त पत्र दिनांक 21-12-2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दिनांक 22-12-2013 के अपराहन तक तामिला प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/13

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

! DO website पर प्रकाशन हेतु।

20/12/13

18) एनए कार्यालय मधेपुरा